

प्रेषक,

एच०पी० सिंह

विशेष सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

परिदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ०३ जनवरी, २०१७

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत" जनपद-बलिया की 24 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4786/15/छः/25/20/2012-13, दिनांक 03 जनवरी, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 से जनपद-बलिया की न०पं० बैरिया की विभिन्न मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 24 परियोजनाओं हेतु कुल रु० 132.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रु० 33.172 लाख (रुपये तीन सौ लाख सत्रह हजार दो सौ मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


क्रमशः.....2

AW (7.1.17)
द्वा० ११

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणार्नों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ड०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, * नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोधागार का नाम, बाठचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. सेन्ट्रेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-ए-२-२३/दस-२०११-१७(४)/७५, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-तिर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. इस धनराशि का उपयोग चातू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-“2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गंदी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0रोड/इण्टरलाइंकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय लाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।


संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-16 /2017/15(1)/69-1-2017, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0.20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बलिया।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-16 /2017/15/69-1-17-112(म0ब0-83)/2016 दिनांक ०३ जनवरी, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल आंगणित लागत।	प्रथम किश्त (25 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	बलिया	न0पं0 बैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में रामानन्द राम के मकान के सामने से सीताराम गौड़ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	6.06	1.515
2	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में राम दयाल गौड़ के मकान से नन्दलाल गौड़ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	2.70	0.675
3	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में रामानन्द राम के मकान के सामने से सीताराम गौड़ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	13.46	3.365
4	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में अशोक वर्मा के मकान से भूखल पासवान के मकान तक तथा गौरी शंकर के मकान से हाकिम चन्द के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	8.82	2.205
5	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में संजय राम के मकान से द्वारिका राम के मकान होते हुए बलराम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	7.19	1.798
6	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में भरत मास्टर के मकान से ताहिर के मकान होते हुए खुर्शीद मास्टर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	4.78	1.195
7	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में मेन रोड से नन्हक कुंवर के खेत/तहसील रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	8.70	2.175
8	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में मदन कमकर के मकान से श्रीनाथ यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	3.01	0.753

9	तदैव	तदैव	नगर पंचायत वैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में शिव जी के मकान से पहाड़ी व राम लखन के मकान होते हुए दीना गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	11.50	2.875
10	तदैव	तदैव	नगर पंचायत वैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में इब्राहिम मियां के मकान से कन्हैया के मकान होते हुए छितेश्वर के मकान तक तथा उमाशंकर के मकान से शिव शंकर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	6.98	1.745
11	तदैव	तदैव	नगर पंचायत वैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में शौकत अली के मकान से मुस्तकीम मियां के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	3.42	0.855
12.	तदैव	तदैव	नगर पंचायत वैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में वीरा प्रसाद के मकान से सन्तोष के मकान तक एवं वरमेश्वर के मकान से डब्ल प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	2.96	0.74
13.	तदैव	तदैव	नगर पंचायत वैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में महबूब मियां के मकान से अलाउद्दीन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	2.25	0.563
14	तदैव	तदैव	नगर पंचायत वैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में धूरा राम के मकान से अदधीश राम के मकान तक एवं शिवराम पासवान के मकान से सुभग के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	2.04	0.51
15	तदैव	तदैव	नगर पंचायत वैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में कुदरुस के मकान से मसान बाबा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	3.52	0.88
16	तदैव	तदैव	नगर पंचायत वैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में अमर बनिया के मकान से पवन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	2.28	0.57
17	तदैव	तदैव	नगर पंचायत वैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में गरज नारायण के मकान से विजय प्रताप के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	0.79	0.198
18	तदैव	तदैव	नगर पंचायत वैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में धनजी यादव के मकान से राजू यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	6.52	1.63

19	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में गुड्डू के मकान से श्रीनाथ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	2.96	0.74
20	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में आशीष के मकान से धुरपत के मकान तक एवं हरेराम के मकान से अवधि बिहारी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	3.02	0.755
21	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में राजनाथ यादव के मकान से सुरेन्द्र यादव के मकान तक एवं सुमेश्वर यादव के मकान से शिव कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	3.55	0.888
22	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में देव नारायण पासवान के मकान से मोहनराम के घर होते हुए बी०एन० नारायण के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	4.24	1.06
23	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में सुल्तान खौं के मकान से पिन्टू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	3.42	0.855
24.	तदैव	तदैव	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में कन्हैया के मकान से टेघरई नवाबदाद शर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	18.51	4.627
योग				132.68	33.172

(रुपये तीनों साल लाख सत्रह हजार दो सौ मात्र)।

hpsl
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।